

03.03.2023— पत्रावली पेश। अभियुक्त उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी महोदय आनलाईन प्रशिक्षण में हैं। अभिुक्त के विरुद्ध पूर्व आदेशानुसार जमानतीय वारण्ट मु0-10,000- /दिनांक-03.04.2023 की हाजरी हेतु जारी हो।

प्र0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
उत्तरकाशी।